

नागरिक अधिकार पत्र

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 1860 पंजीकरण अधिनियम के तहत भारत का एक पंजीकृत समाजिक और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था हैं।

के.वि.एस.का मुख्यालय - केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया हींद जीत सिंह मार्ग ई दिल्ली 110602।

दूरभाष 011- 26858570 फ़ैक्स : 011 26514179

ई मेल : - kvssao@nic.in

वेब साईट:-www.kv.sangathan.nic.in

के.वि.एस. देश भर में फैले 18 क्षेत्रीय कार्यालयों और 981 केन्द्रीय विद्यालयों 103 विदेश में भी शामिल हैं जिसके माध्यम से अपनी विभिन्न योजनाओं का संचालन करता हैं। प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के.वि.एस. नीति-नियम के अनुसार काम करता है। विद्यालय प्रबंधक समिति की देखरेख में जिसका नेतृत्व रक्षा क्रिसविल क्रप्रयोजित एजेंसी या एक शिक्षाविद् सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी करता है सभी केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से संबद्ध है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री के नेतृत्व में गठित आधिशासी मंडल द्वारा के.वि.एस.के लिए नीतियां निर्धारित की जाती है।

आयुक्त के.वि.एस.का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

हितधारक - छात्रों किर्मचारियों अभिभावक एवं प्रायोजित एजेंसियां

दूरदर्शिता के.वि.एस.विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है ताकि छात्रों के आन्तरिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करके उन्हें भविष्य में स्वयं सामाजिक जाष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम अर्थ एवं सशक्त बनाना।

सेवाएं

1 के.वि.एस. निम्नलिखित सेवाएं अपने हितधारकों को प्रदान कर रहा है -

- 1। **नामांकन** : - सरकारी नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार वंचित समूहों के लिए आरक्षण प्रवेश मार्गदर्शिका के अनुसार।
- 2। **पाठ्यक्रम विनियमन** :- के.वी.एस. अपनी निगरानी में एन.सी.ई.आर.टी और सी.बी.एस.ई. द्वारा प्रारूपित पाठ्यक्रम का विनियमन करके नियमितता के साथ छात्रों को सशक्त बनाने में सक्षम।
- 3। **सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य** : शिक्षको को सशक्त बनाने के लिए संरचित सेवकालीन प्रशिक्षण कार्य का आयोजन कर।
- 4। **अध्यापन प्रणाली में नवाचार और खोज** : - के.वि.एस. अपने योग्य और सक्षम शिक्षकों को बड़ी संख्या में पाठ्यचर्या के विनियमन में नवाचार और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देता है एवं उत्प्रेरित करके पुरस्कृत करता है।

5। राष्ट्रीय एकता [सांस्कृतिक और सामाजिक एकता [विज्ञान और भारतीयता का संवर्धन :- “राष्ट्रीय एकता और भारतीयता ” के संवर्धन एवं पोषण के उद्देश्य से के.वि.एस. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल स्पर्धा [युवा संसद [सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी [अंग-विज्ञान प्रदर्शनी आदि [आकलापो का आयोजन करता है।

2 स्थानान्तरण -अभिभावक के स्थानान्तरण से नए विद्यालय में छात्र का प्रवेश दिशा निर्देशो के अनुसार स्वतः होता है

3 छात्रावास सुविधाएँ -हितधारकों की मांग और जरूरत के अनुसार कुछ स्थानों पर के.वि.एस. छात्रावास व्यवस्था प्रदान करता है।

4 के.वि.एस. के लिए शुल्क प्रारूप-

मासिक शुल्क छात्रों से दो मुख्य घटकों “ शिक्षण शुल्क और विद्यालय विकास निधि ” के रूप में वसूल किया जाता है।

5 पाठ्यक्रम -

बच्चों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक गतिविधियों के साथ के.वि.एस. स्वास्थ्य-शारीरिक शिक्षा [कृष्य- कला प्रदर्शन एवं कार्य अनुभव को बढ़ावा देता है।

6 नवचार और प्रयोग

के.वि.एस. छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने [सामाजिक मूल्यों एवं नवचार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी [सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रयोगात्मक गतिविधियों का आयोजन कर छात्रों और शिक्षकों को पुरस् [त करता है।

7 केन्द्रीय विद्यालयों में गतिविधियों की समय सूची-

गतिविधियों की समय सूची में उल्लिखित [आए [स्थानीय आवश्यकताओं के कारण उचित लचीलेपन के साथ लागू किया जाता है।

8 परीक्षा और संवर्धन के लिए नियम :-छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नति निर्धारित नियमों के आधार पर दी जाएगी।

9 स्थानान्तरण प्रमाण पत्र -

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्पष्ट रूप से बच्चे का विवरण और कारण के साथ अभिभावक के अनुरोध पर दिया जाता है। स्थानान्तरण प्रमाण पत्र निकासी फार्म जमा करने के बाद 3 से 7 दिन के अन्दर दिया जाएगा। 07 दिन से अधिक होने पर क्षेत्र के सहायक आयुक्त को सूचित किया जा सकता है।

10 शिक्षक -प्रशिक्षण-

के.वि.एस.की अपनी आधुनिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है जहां शिक्षकों में कौशलों की अधिग्रहण क्षमता का विकास करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोग के लायक बनाने एवं निष्पत्ति स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर सेवा कालीन व अन्य प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाता है।

11 अभिभावक - शिक्षक संघ-

आस्था और सहयोग पैदा करने के उद्देश्यों के संपूर्ण विकास व उनकी कार्यकुशलता अवगत करने के लिए अभिभावक और शिक्षकों की बैठकें होती हैं और अभिभावक विद्यालय की प्रगति विकास से संबंधित अपने विचार भी प्राचार्य के सामने प्रकट कर सकते हैं।

12 शिकायत निवारण तंत्र -

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिकायत निवारण तंत्र गठित किया गया है जो क्षेत्रीय कार्यालय तथा के.वि.एस. मुख्यालय में स्थापित है।

शिकायतों का निवारण क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी एवं के.वि.एस. मुख्यालय में केन्द्रीय शिकायत अधिकारी करता है।

सभी कार्यकारी दिनों में रोज 4 से 5 का समय क्षेत्रीय कार्यालय और के.वि.एस. मुख्यालय की पूर्वानुमति के बिना लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए निर्धारित किया गया है। शिकायत तुरन्त स्वीकार की जाएगी और उसकी रसीद तीन दिन में दे दी जाएगी।

यह कोशिश की जाएगी कि शिकायत का निवारण दो महीनों में हो जाए। अगर शिकायत का निवारण करने में दो महीने से अधिक समय लगता है तो अल्पकालीन जवाब दिया जाएगा।

केन्द्रीय शिकायत अधिकारी उप आयुक्त होता है।

उनका दूरभाष नम्बर व पता वेब साइट पर दिया गया है।

विद्यालय स्तर की शिकायतों का निवारण प्राचार्य के द्वारा किया जाता है।

13 बैठक के लिए समयः -

के.वि.एस. मुख्यालय के अधिकारी और क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी सामान्य लोगों अथवा सहयोगियों की शिकायत तथा आपसी मुद्दों का निवारण 4 से 5 बजे तक हर कार्य दिवस में किया जाता है।

प्राचार्य क्र प्रभारी प्राचार्य - 1 घंटा 11 बजे से 12 बजे हर कार्य दिवस पर।

शिक्षक : पूर्वानुमति के अनुसार किसी भी कार्य दिवस पर।

14 सूचनाः -

आर टी आई एक्ट के तहत के.वि.एस. एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।

पी आई ओ और प्रथम अपील प्राधिकारी के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में से प्रत्येक की लिए सूची के.वि.एस.

वेब साइट पर उपलब्ध है।

भाग 2

अपेक्षाएँ के विषय के द्वारा कुछ अपेक्षाएँ

अ छात्रों से- छात्रों को अनुशासनबद्ध और नैतिक मूल्यों को अपनाना तथा अनुशासित रहना।

ब अभिभावकों से- अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना।

अभिभावक - शिक्षक बैठक में भागीदार बनकर अपने सुझाव तथा अपेक्षाएँ प्रस्तुत करना।

बच्चों के पठन-पाठन प्रक्रिया एवं प्रतिदिन की गतिविधियों की ओर ध्यान देना।

अभिभावक बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने।

प्रायोजन एजेंसियाँ-

विद्यालय के लिए उपयुक्त भूमि और अवसंरचना प्रदान करना।

वी एम सी द्वारा विद्यालय के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का निरीक्षण करना।

शिक्षकों तथा अन्य सदस्यों से उनके नियत कार्य में आदर्श भूमिका निभाना।

शिक्षकों को केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता के 59 लेख के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना।

परियोजना थिंक टाट कॉम -

छात्रों और शिक्षकों की शैक्षणिक प्रतिभा को विकसित करने, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी से अवगत करने, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाने के उद्देश्य से औरैकल के साथ परियोजना कार्य मुंबई के 25 केन्द्रीय विद्यालयों में आरंभ किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को अपनी निजी वेब पेज बनाना और सहयोग उपकरण के तहत संवाद करने में सक्षम बनाना है।

औरैकल ने के वि एस मुंबई सम्भाग के दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।

मास्टर प्रशिक्षकों ने 43 केन्द्रीय विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर

थिंक टाट कॉम परियोजना में केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का पंजीकरण करवाया।

थिंक टाट कॉम -

थिंक टाट कॉम पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम के वि आई एन एस हामला में 29 और 30 नवंबर 2007 को

और के वि बी ई जी पुणे में 1 और 2 2007 दिसंबर को आयोजित किया गया। श्रीमती कृष्ण कुमारी प्राथमिक

अध्यापिका के वि आई एन एस हामला दोनों कार्यक्रमों की संयोजिका थी। यह कार्यक्रम नए भर्ती किए गए

संगणक शिक्षक एवं प्रशासकों के लिए भी आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का सप्ताह में एक बार शिक्षक प्रशासकों के साथ पुनरवलोकन करने का निर्णय लिया गया।

प्रतिवेदन-

थिंक डाट कॉम वैश्विक औरैकल शिक्षा फाउन्डेशन द्वारा मुंबई क्षेत्र में वर्ष 2004 में शुरू की गई यह निजी और सार्वजनिक पहल का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के पूरक है। यह 21 वीं सदी में छात्रों की क्षमताओं की सोच की शक्ति में नैतिकारी परिवर्तन लाया है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण किया है।

अधिक से अधिक केन्द्रीय विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई क्षेत्र के के.वि.आई.एन.एस.हामला में मुंबई क्लस्टर के लिए 1 और 2 दिसंबर एवं 12 और 13 को के.वि.वी.ई.जी. पुणे में नासिक क्लस्टर के लिए थिंक डाट कॉम की कार्यशाला आयोजित की। श्रीमती कृष्ण कुमारी इस कार्यशाला की मास्टर ट्रेनर रही।

परियोजना में नए सिरे से उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से नयी तकनीक सिखाई गयी और संदेह और शंकाओं का समाधान भी किया गया।

मुंबई क्षेत्र में शिक्षक-प्रशासक अपने विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को प्रेरित करने में सक्षम हो गए।

अगस्त महीने में थिंक डाट कॉम के नेतृत्व में औरैकल द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया और केन्द्रीय विद्यालय विशाल मात्रा में निष्पक्ष रूप से विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र दिया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस क्षेत्र के अपने सभी विजेताओं का अभिनंदन किया।

समूह 1 – कक्षा 10 व 12 वीं

हर्षा आर – कक्षा 10 केन्द्रीय विद्यालय आई.ए.टी. गिरिनगर मुंबई क्षेत्र।

आशीष एस – कक्षा 10 केन्द्रीय विद्यालय आई.एन.एस.हामला मुंबई क्षेत्र।

नितेश एस – कक्षा 12 के.वि.ए.एफ.एस.देवलाली मुंबई क्षेत्र।

विष्णु ठाकुर – कक्षा 10 केन्द्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे।

समूह 2 – 7 से 9 वर्ग

प्रवालिका – कक्षा 9 केन्द्रीय विद्यालय आई.ए.टी. गिरिनगर मुंबई क्षेत्र।

दीप – के.वि.आई.एन.एस.हामला मुंबई क्षेत्र।

समूह 3 – कक्षा 4से 6

नामित ददलानी – के.वि.आई.एन.एस.हामला मुंबई क्षेत्र।

जयदीप शिंदे – कक्षा 5 केन्द्रीय विद्यालय आर्मी एरिया पुणे मुंबई क्षेत्र।

वैष्णवी ए.एल – कक्षा 5 केन्द्रीय विद्यालय दिहू रोड।

जोशुआ वासिल – कक्षा 6 विद्यालय नम्बर 1 देहू रोड।

उत्तम प्रदर्शन – के.वि.आई.एन.एस.हामला।

मुंबई क्षेत्र के शिक्षकों में से एक शिक्षिका श्रीमती कृष्ण कुमारी को ऑरेकल शिक्षा फाउन्डेशन ने 21 वीं सदी के शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान नानयांग सिंगपुर में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।

इसमें 40 घंटे के व्यापक ऑनलाईन प्रशिक्षण और 28 घंटे का कक्षा प्रशिक्षण दिनांक 25 फरवरी से 1 मार्च 2008 तक दिया गया । यह प्रशिक्षण एशिया क्षेत्र के छात्रों एवं शिक्षकों के बीच परियोजना आधारित शैक्षिक कौशल बढ़ाने में मददगार होंगे ।